फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

मनभर देवी बनाम सहायक अभियन्ता वगै0

त्र संख्या : 175/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13.12.24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस मे वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीया की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 259/8 रकबा 2.16है0, खसरा नम्बर 255/3 रकबा 0.46है0 व प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248, 249 वाके ग्राम दौलतपुरा, पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। वादिया द्वारा उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 259/8 रकबा 2.16है0, खसरा नम्बर 255/3 रकबा 0.46है0 के संबंध में न्यायालय के समक्ष दावा मय स्थाई निषेधाज्ञा बउनवानी मनभर बनाम हनुमान सहाय का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें दिनांक 04.12.2018 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसारा नम्बर 255, 258, 259/1, 259/3, 259/6, 277 पर माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2018 की पालना में स्थगन का नोट लगा हुआ है। वादीया के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि के पास ही प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 248, 249 सीमाजोड लगी हुई है। प्रतिवादी सं0 3 स्थगन के बावजूद वादिया की खातेदारी की भूमि में प्रतिवादी सं0 1 व 2 से सांठ गांठ कर जबरन विद्युत लाईन खीचने हेतु पोल गाडकर एल0टी0 लाईन खीचने व कनेक्शन सिप्टिंग की कार्यवाही लगातार की जा रही है। उक्त वर्णित वादिया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि के संबंध में प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीया की भूमि में जबरन किसी प्रकार से विद्युत पोल नही गाडने, ना ही वादिया की भूमि मे से होकर विद्युत लाईन के तार खीचने, व अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन शिप्टिंग करने की किसी प्रकार की कार्यवाही नही करें। ना ही वादिया को उसकी भूमि वादग्रस्त में काश्त करने व उपयोग उपभोग करने में बाधा डालें। उक्त कार्य प्रतिवादीगण ना स्वयं करे ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियो, मजदूर, ठेकेदार, एजेन्ट, सर्वेन्ट व अन्य किसी हितबद्व व्यक्ति से करवाये एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन नही करें। एवं मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। वकील प्रतिवादी सं0 3 ने अपनी बहस में जवाब दावें	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with CamScanner

में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 255/3, 259/8 में प्रतिवादी सं0 5 भी सहखातेदार है जिसमे उसका हिस्सा 1/2 नियत है व खसरा नम्बर 248, 249 का प्रतिवादी सं0 3 खातेदार है। खसरा नम्बर 255/3, 259/8 में वादीया सहखातेदार की अनुमती के बिना वाद पेश नही कर सकती ना किसी को पाबन्द करवा सकती है। प्रतिवादी सं0 5 सहखातेदार है। जिसको प्रतिवादी बनाया गया है और दोनों खातेदारों में तकासमें का वाद विचाराधीन है। इस कारण प्रतिवादी को पाबन्द नही करवाया जा सकता है। खसरा नम्बर 248, 249 प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी भूमि है जो सीमा जोड से लगती हुई है। जिसमें प्रतिवादी अपनी भूमि से ही विद्युत लाईन डालकर कनेक्शन शिफ्ट करवा रहा है। वादिया की भूमि में कोई कार्यवाही नही कर रहा है। बिजली, पानी, रास्ता आदि अन्य सेवाये सुखाधिकार में आती है वादिया प्रतिवादी को बिजली कनेक्शन ।शिफ्टींग व लाईन खिचने से नही रोक सकता है वादीया पूर्व में कनेक्शन प्राप्त किया था तो प्रतिवादी ने सहमति दी थी और वादिया ने स्टाम्प पर लिखकर भविष्य में प्रतिवादी के कनेक्शन व सिफ्टींग को नही रोकने का आश्वासन दिया था। अतः उक्त भूमि शामलाती भूमि होने और उक्त भूमि का पूर्व से ही प्रतिवादी सं0 5 से सन् 2018 में प्रकरण उनवानी मनभर बनाम हनुमान वादीया व प्रतिवांदी सं0 5 के मध्य तकासमे का लम्बित होने की स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नही की जा सकती है ना ही विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही नही होने के लिए पाबन्द किया जा सकता है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जावें।

अतः पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, जवाब दावा एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि वादीया की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 255/3, 259/8 में प्रतिवादी सं0 5 सहखातेदार है। जिसका तकासमे का वाद विचाराधीन है। वादीया ने सहखातेदार प्रतिवादी सं0 5 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहा है। जो कि विधि विरूद्व है। बिना तकासमें के सहखातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि विरूद्व एवं उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुना गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी